उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्याः **9/530002 /2024** सी0एक्स 0-3

लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2024

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर नगर टर्मिनल तक पाइपलाइन द्वारा डीजल / पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा :

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस 0 ओ 0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-07, गाटा सं0-250 ग्राम-नुनवई, तहसील-उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश	
पूर्व में-	गाटा संख्या-242 चकमार्ग ।
पश्चिम मे	गाटा संख्या-251 नाली।
उत्तर में	गाटा संख्या-228 चकमार्ग ।
दक्षिण में-	गाटा संख्या-249।

आज्ञा से,

ह0/

(ए0 वी0 राजामौलि)

सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
GOPAN ANUBHAG-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 9 /530005 /2024-CX-3, dated March 28 , 2024 for general information.

NOTIFICATION

No. 9/530005 /2024-CX-3

Lucknow; **Dated: March 28 , 2024**

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying diesel/petrol from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Nagar Terminal through pipeline ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4 th May, 1963, published in Part II, section 3, sub -section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11 th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place** " for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the Prohibited Place.	
Valve Station-07, Gata No.250 Village-Nunbai,Tehsil-Orai, District-Jalaun, Uttar Pradesh.	
In East-	Gata No.242 Chakmarg.
In West-	Gata No.251 Drain.
In North-	Gata No.228 Chakmarg.
In South-	Gata No.249

By order,

Sd/-

(**A.V. Rajamauli**)
Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।